न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवा राम स्वामी, आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या :–02/2016

1–रामकिशोर पुत्र स्व0 नाथु

2–रामस्वरूप पुत्र नाथु

3–श्रीमति मुरली पत्नि स्व0 नाथु

4–दीपक पुत्र स्व0 शंकर लाल पौत्र स्व0 श्री नाथु

5–रेणु पुत्री स्व0 शंकर लाल पत्नि राकेश

6–विमला पत्नि स्व0 श्री शंकर लाल

समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासीगण–निंदड, बड पिपली स्टेण्ड के पास, बलेसरा की ढाणी, तहसील आमेर जयपुर राज0

प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट सख्या 05

बनाम

1. गोपाल लाल पुत्र स्व0 पेमा

2. औम प्रकाश पुत्र स्व0 पेमा

3–मु0 धापा पत्नि स्व0 पेमा (मृतक नाम हजफ)

समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी–प्लाट नम्बर डी–20, मीरा मार्ग, बनीपार्क, जयपुर

4– मु0 लछमा पत्नि स्व0 हरला (मृतक नाम हजफ)

5– मु0 मोहरी पत्नि स्व0 हनुमान सहाय जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ईसरी सिंह जी की छतरी के पास, जयपुर राज0

विपक्षी सख्या 01 ता 05/अपीलान्टस

6–बंशी पुत्र भौरी लाल

7–मु0 नन्छी पत्नि स्व0 बाबु लाल

8–राजू पुत्र स्व0 बाबु लाल

9–गिरधारी पुत्र स्व0 बाबु लाल

10–रामजीलाल पुत्र स्व0 श्री भौरी लाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

11– जगदीश पुत्र स्व0 श्री काना

12–पप्पु पुत्र स्व0 श्री काना

13– भागचन्द पुत्र स्व0 श्री काना

14–भैरू पुत्र स्व0 श्री गणेश

15–गोपाल पुत्र स्व0 श्री गणेश

16–मु0 मनभर पत्नि स्व0 श्री नारायण

17–गिरधारी पुत्र स्व0 श्री नारायण

18–बनवारी पुत्र स्व0 श्री नारायण

19–कालु राम पुत्र स्व0 श्री नारायण

20–ढाल्या पुत्र स्व0 श्री नारायण

21–प्रभात पुत्र स्व0 श्री रामनाथ

समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासीयान ग्रामक निंदड बड पीपली स्टेण्ड, वार्ड नम्बर–1, तहसील आमेर जिला जयपुर।

22. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर

विपक्षी स. 6 लगा0 22/रेस्पोडेंट सख्या 1 लगा0 4 व 6 लगा0 12

उपस्थित अधिवक्तागणः

1– श्री मुकेश कुमार प्रार्थीयान की ओर से।

2– श्री राकेश सिंह शेखावत अप्रार्थी सख्या 1 व 2 की ओर से ।

3– श्री बनवारी कुमावत अप्रार्थी सख्या 7 लगा0 9 की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :–21–02–2018

1– यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सहपठित धारा 151 सीपीसी विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 21/09/2006 व संशोधित डिक्री दिनांक 31/08/2007 अन्तर्गत अपील सख्या 12/1998 न्यायालय हाजा के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा उपर्युक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि विपक्षी सख्या–1 ता 5 के पिता/पति पैमा व हरला द्वारा एक वाद विचारण न्यायालय में बाबत घोषणा एवं तकासमा का आराजी खसरा नम्बर 567, 570, 571, 572, 582, 584,568, 569, 573 व 575, 583 व 574 कुल किता 12 कुल रकबा 52 बीघा 18 बिस्वा स्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

ग्राम निदड तहसील आमेर जिला जयपुर के बाबत इस आशय का दायर किया गया कि उक्त सम्पदा पैत्रक है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी– गण 1/2, 1/2 के हिस्से के खातेदार है। वादीगण ने सेटलमेंट के रिकॉर्ड का मुवायना किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि खसरा नम्बर 570, 572, 582 एवम 584 की खातेदारी केवल प्रतिवादीगण के नाम एवं आराजी खसरा नम्बर 568, 569, 574, 575 एवम 583 की खातेदार वादीगण के नाम अंकित की है। तथा खसरा नम्बर 567 में वादीगण का केवल 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का 2/3 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। इसलिये विवादित भुमियों के इन्द्राज दुरूस्त करते हुए वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने का एवं तकासमा किये जाने का अनुतोष चाहा गया।उक्त वाद को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27–12–1986 को मेरिट पर खारिज फरमा दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद को खारिज करने के निर्णय दिनांक 27–12–1986 के विरूद्ध अपील अपीलान्ट की ओर से न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई।न्यायालय द्वारा उक्त अपील में मिन प्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 21/06/2006 को एकतरफा फैसला प्रदान करते हुए वादीगण का उक्त वाद वांछित अनुतोष के लिए एकपक्षीय रूप से डिक्री कर दिया गया तथा उक्त प्रकरण में तत्पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा बिना रेस्पोडेन्टस को सुनवाई का अवसर दिये ही दिनांक 31/08/2007 को उक्त प्रकरण में एक पक्षीय संशोधित आदेश पारित कर दिया। एतद्पश्चात उक्त प्रकरण में मौके पर कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु पटवारी दिनांक 18–01–2016 को मौके पर आया, जिससे प्रार्थीगण को ज्ञान हुआ कि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट्स ने प्रार्थीगण के विरूद्ध विधि विरूद्ध रूप से एक पक्षीय कार्यवाही करवाते हुए एक पक्षीय निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री पारित करवा ली। माननीय न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी प्रार्थी को दिनांक 18–01–2016 को प्राप्त हुई। जानकारी प्राप्त होने पर प्रार्थीगण द्वारा इस प्रकरण की एवं मूल वाद की पत्रावली की प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर नकले दिनांक 05–02–2016 को प्रार्थीगण को प्राप्त हुई है जिन्हें पढने के उपरान्त प्रार्थीगण को ज्ञान हुआ

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

कि अपीलान्ट्स ने विधि विरूद्ध रूप से मिन प्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा निर्णय व डिक्री प्राप्त कर ली है तथा इसी प्रकार उक्त प्रकरण में अपीलान्टस ने निर्णय व डिक्री में बिना प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये ही दिनांक 31/08/2007 को संशोधन भी विधि विरूद्ध करवा लिया। इस कारण उक्त एकतरफा निर्णय व डिक्री को अपास्त किये जाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3— प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना—पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण को इस प्रकरण का कोई सम्मन या नोटिस कभी प्राप्त नही हुआ है तथा नही मिन प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस ने कभी कोई नोटिस सम्मन या पत्र लेने से इंकार किया है।इस प्रकार प्रार्थीगण पर इस प्रकरण की कभी भी कोई तामील नहीं हुई है। इस प्रकरण में विचाराधीन रहने या डिक्री होने की कोई जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 18—01—2016 से पूर्व नहीं थी। इस प्रकार मिन प्रार्थीगण को इस मुकदमें में प्रतिरक्षा का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ हैं।इसलिये माननीय न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमाते हुए अपील की पुनः सुनवाई किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। विधिनुसार प्रत्येक अपील में प्रत्येक रेस्पोडेंट को अपील के सम्मन जारी किया जाना आवश्यक है परन्तु उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण को अपील के सम्मन एक बार भी माननीय न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया गया है। आदेश 22 नियम 4 किसी मृतक के वारिसान को जारी किया गया शोकॉज नोटिस होता है। कायम मुकामान के आवेदन पर बाद सुनवाई होने व आवेदन के रिकार्ड पर आने के बाद संबंधित वारिसान रेस्पोडेंन्टस को प्रकरण के सम्मन जारी किया जाना व्यवहार प्रक्रिया संहिता व प्रोसीजर के अनुसार आवश्यक होता है।उक्त प्रावधान आज्ञापक है एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की भी यह मांग है।उक्त प्रकरण में स्व0 नाथू के वारिसान को दिनांक 10—01—2006 को रिकार्ड पर लिया गया,परन्तु उसके बाद एक बार भी उक्त अपील के समन नोटिस माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को नहीं भेजे गये हैं।ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध है। न्यायालय के रिकार्ड के अनुसार कायम मुकामान के आदेश 22 नियम 04 के सम्मन एकबार प्रार्थीगण के लिये जारी हुए है

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

परन्तु वे प्रार्थीगण पर तामील नही हुऐ है तथा उसके बाद स्व0 नाथू के वारिसान को रिकार्ड पर लेने के पश्चात कभी भी कोई अपील के सम्मन नोटिस माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को नहीं भेजे गये है तथा बिना कोई अपील के सम्मन नोटिस भेजे ही उक्त प्रकरण में सी0 पी0 सी0 आदेश 05 नियम 17 के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध अपीलान्ट्स ने प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रतिस्थापित तामील के (अखबार में प्रकाशन के) आदेश पारित करवा लिये।इसलिये व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तामील से संबंधित आज्ञापक प्रावधानों की बिना पालना किये व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना किये उक्त एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित किया गया है,जो उपरोक्त कारणवंश अपास्त किये जाने योग्य है।अपीलान्टस द्वारा उक्त अपील में स्व0 नाथु के कायम–मुकाम के प्रार्थना–पत्र में स्व0 नाथु के मृत पुत्र शंकर लाल के वारिसान प्रार्थीगण सख्या 04 ता 06 को पक्षकार नहीं बनाया है तथा इसी प्रकार कालुराम के नाम का कोई पुत्र स्व0 नाथु के नहीं था अपितु रामस्वरूप नाम से प्रार्थी सख्या 02 स्व0 श्री नाथु पुत्र था जिसे उक्त अपील में स्व0 नाथु का विधिक वारिस होने के बावजूद अपीलान्टस् द्वारा पक्षकार नहीं बनाया है। इसलिये उक्त प्रार्थीगण के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा प्राप्त किया गया उक्त एकपक्षीय निर्णय व डिक्री अवैध व शून्य है तथा सीपीसी में वर्णित प्रोसिजर व विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से भी निरस्तनीय है। इस कारण भी उक्त एकपक्षीय निर्णय व डिक्री निरस्त करते हुए अपील की पुनः सुनवाई किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। न्यायालय द्वारा स्व0 नाथू के वारिसान को दिनांक 10–01–2006 को सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्शन रिकार्ड पर लिया गया था,ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को उसके विधिक अधिकारों की रक्षार्थ व विधि के तामील संबंधित आज्ञापक उपबन्धों की पालना में व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के अनुसरण में प्रकरण में प्रार्थीगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाना आावश्यक व न्यायोचित था जो उक्त प्रकरण में नही दिया गया। प्रकरण में कोई निर्णय व डिक्री पारित करने के पश्चात अगर उसमें कोई संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत होता है तो प्रकरण के अन्य पक्षकारों को नोटिस तामील करवाने के पश्चात ही उस पर निर्णय किया जाना चाहिए।परन्तु उक्त प्रकरण में अपीलान्टस द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

डिले से संशोधन का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात उक्त प्रार्थना –पत्र के सबंध में किसी भी रेस्पोडेन्टस की कोई तामील नहीं करवाई गयी है तथा रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तथा मूल वाद में बिना कोई संशोधन विवादग्रस्त भूमियों के खसरा नम्बरों के संबंध में हुऐ ही व बिना अपील मीमों में उपरोक्तानुसार कोई संशोधन हुए ही मूल निर्णय में दिनांक 31/08/2007 को संशोधन विधि विरूद्ध रूप से करवा लिया गया है।इस प्रकार प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का घोर उल्लघन हुआ है तथा आलोच्य संशोधन विधि विरूद्ध है।न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21/09/2006 का है तथा संशोधित निर्णय दिनांक 31/08/2007 का है।उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रार्थीगण को सर्वप्रथम दिनांक 18–01–2016 को हुई है।जानकारी प्राप्त होने पर प्रार्थीगण द्वारा इस प्रकरण की एवं मूल वाद की पत्रावली की प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर नकले दिनांक 05–02–2016 को प्रार्थीगण को प्राप्त हुई है जिन्हें पढने के उपरान्त प्रार्थीगण को ज्ञान हुआ कि अपीलान्ट्स ने विधि विरूद्ध रूप से मिन प्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा निर्णय व डिक्री प्राप्त कर ली है तथा इसी प्रकार उक्त प्रकरण में अपीलान्ट ने निर्णय व डिक्री में बिना प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये ही दिनांक 31/08/2007 को संशोधन भी विधि विरूद्ध करवा लिया। इस प्रकार उक्त पारित निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 18–01–2016 को हुई तथा जानकारी की दिनांक से उक्त आवेदन अन्दर मियाद प्रस्तुत है फिर भी कोई विधिक त्रृटि नहीं रहे इसलिये डिले कन्डोन बाबत प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाने एवं न्यायालय हाजा द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 21/09/2006 अन्तर्गित उनवानी मुकदमा पेमा (मृतक) बनाम बंशी व अन्य, राजस्व अपील सख्या 12/1998 एवं संशोधित आदेश दिनांक 31/08/2007 को अपास्त किया जाकर प्रार्थीगण /रेस्पोटेन्टस को अपील की सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः अपील को निर्णित किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

4–प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सख्या 1 व 2 तथा 7 लगायत 9 की ओर से अधिवक्तागण उपस्थित आये तथा शेष अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5–अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि प्रकरण में अप्रार्थी सख्या 5 की मृत्यु हो चुकी थी तथा वारिसान के रूप में रेस्पो0 सख्या 5/1 लगायत 5/3 को पक्षकार बनाया गया। मृतक नाथू के मृत पुत्र शंकर लाल को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा कालू राम नाम का कोई पुत्र नहीं होने पर भी उसे पक्षकार बनाया गया।नाथू के वारिसान को कोई नोटिस जारी नहीं किये गये तथा सीधे ही अखबार में प्रकाशन कर तामील होना मान लिया गया। प्रार्थीयान को सर्वप्रथम प्रकरण की जानकारी दिनांक 18–01–2016 को हुई तथा दिनांक 10–02–2016 को अन्दर मियाद प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 123 के अनुसार अखबार के जरिये की गई प्रतिस्थापित तामील पर्याप्त तामील की श्रेणी में नहीं आती है तथा इसमें परिसीमा जानकारी के दिन से प्रारम्भ होती है अतः प्रार्थना–पत्र को अन्दर अवधि शुमार किया जावे तथा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील में पुनः सुनवाई की जाकर उसे निर्णित किया जावे।अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2008 (2) सीसीसी 790, 2007 (2)आरआरटी 954,2007 (2) आरआरटी 1036,2011–12 (सप्लीमेंट्री) आरआरटी 330, 2010डीएनजे (एससी) 968 प्रस्तुत किये गये।

6– अधिवक्ता अप्रार्थी सख्या 7 से 9 द्वारा अपनी बहस में प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा किये गये कथन का समर्थन किया गया।

7– अप्रार्थी सख्या 1 लगायत 2 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि प्रार्थना–पत्र में मुख्य आपत्ति तामील संबंधी ली गई है। प्रकरण में सर्वप्रथम सादा सम्मन जारीकिये गये है तथा तत्पश्चात दिनांक 22/06/2005 को प्रतिस्थापित तामील जरिये अखबार करवाये जाने का प्रार्थना–पत्र दिया गया है। न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

जाने से जरिये अखबार तामील करवाई गयी है जो कि विधिक तामील की श्रेणी में आती है। प्रार्थीगण मृतक नाथू के फुटस्टेप पर आये है तथा नाथू द्वारा अधिनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष बयान किये गये है तथा दावे में भी एक तरफा कार्यवाही को अपास्त किये जाने का कोई प्रार्थना–पत्र नहीं दिया गया है। प्रार्थीगण को प्रकरण की बखूबी जानकारी रही है तथा दिनांक 18–01–2016 को जानकारी होने का कथन मिथ्या अंकित किया गया है।इस प्रकार प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है जिसे खारिज फरमाया जावे।

8– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। न्यायालय हाजा की संबंधित पत्रावली अपील सख्या 12/1998 का अवलोकन किया गया।पत्रावली की आदेशिका दिनांक 22/06/2005 के अनुसार मृतक रेस्पो0 सख्या 2,5 व 9 के प्रार्थना–पत्र कायम मुकामात पेश किये गये तथा कायम मुकाम के नोटिस पेश करने के आदेश दिये गये है। दिनांक 28–07–2005 की आदेशिका अनुसार मृतक रेस्पो0 सख्या 9 के वारिसान को नोटिस तामील होना अंकित है तथा शेष कायम मुकामान के नोटिस अदम तामील लौट आने का तथ्य उल्लेखित किया गया है तथा अपीलान्ट को पुनः नोटिस पेश करने की हिदायत दी गई है इसके पश्चात आदेशिका दिनांक 8–9–2005 ,28–9–2005, 29–10–2005 में पुनः नोटिस पेश किये जाने के आदेश दिये गये है।इसके पश्चात दिनांक 07–12–2005 को अपीलान्टस द्वारा बकाया रेस्पोडेन्ट एवम कायम मुकामान की तामील अखबार के जरिये करवाये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसपर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 15–12–2005 को अखबार में चस्पा करने हेतु नोटिस पेश करने के आदेश दिये गये है। इसके पश्चात दिनांक 10–01–2006 को प्रार्थना–पत्र कायम मुकाम स्वीकार कर वारिसान को सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्शन रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये गये है।आदेशिका दिनांक 25–01–2006 में उल्लेख है कि अपीलान्ट ने बकाया रेस्पोडेन्ट के नोटिस दिनांक 20–1–2006 को अखबार में साया करवाये गये है तथा दिनांक 24–02–2006 को रेस्पोडेन्ट की तामील मानी जाकर उनकी अनुपस्थिती दर्ज की गई है।इसके पश्चात अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी जाकर दिनांक 21/09/2006 को

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

प्रश्नाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। इसके पश्चात दिनांक 30–8–2007 को अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 152 सीपीसी दर्ज किया जाकर दिनांक 31–8–2007 को उक्त डिक्री में संशोधन किया गया है। संशोधन से पूर्व रेस्पोडेन्ट को कोई नोटिस जारी किया जाना पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार न्यायालय हाजा की पत्रावली से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण जो कि रेस्पोडेन्ट सख्या 5 नाथू के वारिसान है उनको रिकार्ड पर लिये जाने से पूर्व कोई नोटिस तामील नहीं करवाया गये है तथा सीधे ही अखबार में प्रकाशन किये जाने के आदेश न्यायालय हाजा द्वारा प्रदान कर दिये गये है।मृतक नाथू के संपूर्ण वारिसान को रिकार्ड पर भी नहीं लिया गया है। स्व0 नाथू के मृतक पुत्र शंकर लाल के वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया गया है तथा कालू राम नाम का कोई पुत्र नहीं होने पर भी उसे रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।इससे स्पष्ट है कि मृतक नाथू के वारिसान को हस्तगत प्रकरण में न तो पर्याप्त रूप से रिकार्ड पर लिया गया है तथा न ही वारिसान को पर्याप्त तामील विधि अनुसार करवाई गई है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 18–01–2016 को होने का कथन किया गया है जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 123 के अनुसार एकपक्षीय पारित डिक्री को अपास्त करवाये के लिये या एक पक्षीय डिक्रीत या सुनी गई अपील की फिर से सुनवाई के लिये प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की मियाद 30 दिवस निर्धारित की गई है तथा मियाद का प्रारम्भ डिक्री की तारीख या जहॉ की सम्मन या सूचना की सम्यक रूप से तामील नही हुई थी वहॉ जब डिक्री का ज्ञान आावेदक को हुआ,से माना गया है। उक्त अनुच्छेद के स्पष्टीकरण में अंकित है कि सिविल प्रकिया संहिता 1908 (1908 का 5) आदेश 5 के नियम 20 के अधिन प्रतिस्थापित तामील इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये सम्यक तामील नहीं समझी जायेगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस को सम्यक रूप से तामील होना नहीं पाया जाता है तथा जरिये अखबार प्रतिस्थापित तामील करवाई गई है जो कि परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 123 के प्रयोजन के लिये सम्यक तामील की श्रेणी में नहीं आती है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

प्रार्थना–पत्र अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।हस्तगत प्रकरण में न तो प्रार्थीगण को सम्यक तामील करवाई गयी है तथा न ही मृतक रेस्पोडेन्ट सख्या 5 नाथू के समस्त वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया है। इस प्रकार प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 21/09/2006 तथा संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 31/08/2007 पारित किये जाने में न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त का उल्लघन हुआ है तथा जो तथ्यों एवं विधि संबंधी सारभूत त्रुटि कारित किये जाने की परिभाषा में आता है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2008 (2) सीसीसी 790, 2007 (2)आरआरटी 954,2007 (2) आरआरटी 1036,2011–12 (सप्लीमेंट्री) आरआरटी 330, 2010डीएनजे (एससी) 968 में पारित सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः लागू होते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 21/09/2006 व संशोधित डिक्री दिनांक 31/08/2007 अपास्त किये जाने योग्य है।

9–अतःप्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा एकतरफा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21/09/2006 तथा संशोधित डिक्री दिनांक 31/08/2007 अपास्त किये जाकर अपील सख्या 12/1998 को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

10– निर्णय आज दिनांक 21–02–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर